

संख्या: 411983 /III(2)/2026-ई0-100328/2023

प्रेपक,

महावीर सिंह चौहान,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

मेवा में,

✓ प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 07 जुलाई, 2026

प्रमुख अभियन्ता
लो0नि0वि0

विषय: राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र- किच्छा के अंतर्गत विभिन्न 03 निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, हल्द्वानी द्वारा निम्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये आगणनों, जिसके अंतर्गत मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 3.425 कि0मी0) के निर्माण की कुल लागत ₹ 133.24 लाख है, के शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गई कुल धनराशि ₹ 133.24 लाख (₹ एक करोड़ तैतीस लाख चौबीस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में कार्य पर व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 10,000/- (₹ दस हजार मात्र) अर्थात् कुल 03 कार्यों हेतु ₹ 30,000/- (₹ तीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की, श्री राज्यपाल महर्षि स्वीकृति प्रदान करते हैं-

धनराशि (लाख ₹ में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	शासन द्वारा अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
1.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र किच्छा के ग्राम कनकपुर में शक्ति मंडल के घर से अनिल कुमार सिंह के घर तक मोटर मार्ग का प्रीमिक्स कारपेट द्वारा नव निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन) (प्रोजेक्ट आई0डी0 10943) ।	0.600	40.49	0.10
2.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र किच्छा में ग्राम भंगा में मोटर मार्ग का पी0सी0 द्वारा नवीनीकरण का कार्य (विस्तृत आगणन)(प्रोजेक्ट आई0डी0 11804) ।	1.500	55.16	0.10
3.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र किच्छा के अन्तर्गत प्रतापपुर लिक मार्ग से प्रतापपुर कटिंग	1.325	37.59	0.10

ग्राम तक मार्ग का प्रीमिक्स कारपेट द्वारा पुनः निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन)(प्रोजेक्ट आई0डी0 1176 3) ।			
कुल योग :-	3.425	133.24	0.30

2- उक्त स्वीकृतियां निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रहेंगी:-

- विस्तृत आगणनों में उल्लिखित दरें, जो शेड्यूल ऑफ रेट से भिन्न हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व प्राविधिक स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 149101/XXVII(7)/E-20109/ 2022, दिनांक 25 अगस्त, 2023 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
- सड़क मार्गों के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तारण के प्रकरणों में वन विभाग के मानकों से संबंधित लोक निर्माण अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 I/276791/2025 ई पत्रावली सं0 23430 (15 सा0/2022), दिनांक 19.02.2025 में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा।
- कार्य संख्या 1 के सम्बन्ध में कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व मार्ग का ड्रेनेज प्लान बनाकर अधिशासी अभियन्ता मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर मार्ग पर समुचित ड्रेनेज के सम्बन्ध में सन्तुष्ट हो लें।
- कार्य संख्या 2 एवं 3 के सम्बन्ध में पी0सी0 का कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व अधिशासी अभियन्ता, यह सुनिश्चित करेंगे कि मार्ग की ज्यामितियों एवं बेसकोर्स के विशिष्टियों के अनुसार प्राप्त कर लिया गया है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि मार्ग पर कहीं भी local Depression नहीं है।
- ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की Debitable आधार पर अन्य एजेंसी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- निर्माण कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- यदि विषयगत कार्य को कराये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
- स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा



- उत्तराखण्ड प्रेक्वायरमेंट रूल्स- 2025 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
- xiii. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31.03.2027 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अनिश्चित धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।
- xiv. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 2047/XIV-219 (2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराने समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- xv. विषयगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का वज्रत आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या- 22, के अन्तर्गत संलग्न अलॉटमेंट आई.डी. द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या- 4227 Chief Engineer PWD में किया जा रहा है।
- xvi. उपर्युक्त योजना के लिए, पूर्व निर्मित देनदारियों सहित, निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। लम्बे समय से लंबित योजनाओं के सम्बंध में, उनकी उपयोगिता सहित सभी पहलुओं की गहन जांच की जाएगी और तदनुसार उचित निर्णय लिए जायेंगे।
- xvii. यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्मित देनदारियों का विधिवत भुगतान किया जाए, और कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरे किए जाएं, ताकि संशोधन की आवश्यकता वाली स्थितियां उत्पन्न न हों। विभाग के स्तर पर इन पहलुओं की निरन्तर निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- xviii. कार्यस्थल की कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, समय समय पर कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त जी0पी0एम0 फोटोग्राफ तथा वीडियो कार्यदायी संस्था द्वारा संग्रहित रखी जाए।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्यय में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं.-22 लेखाशीर्षक-5054 मड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय - 04 जिला तथा अन्य मड़कें-337 मड़क निर्माण कार्य -03 राज्य सेक्टर-02 नये निर्माण कार्य- 53 वृद्ध निर्माण (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।
- 3- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटरजनित क्रमांक- I/ 411462/2026 दिनांक 08 जुलाई, 2026 में प्रदत्त महमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

Digitally signed by
Mahaveer Singh Chauhan
Date: 09-07-2026
13:38:02

भवदीय,

(महावीर सिंह चौहान)
अपर सचिव

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
5. मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., हल्द्वानी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

आवंटन पत्र संख्या -I/411983/2026
 अनुदान संख्या -022

 आवंटन आई डी-526070220034
 आवंटन पत्र दिनांक-10-JUL-2026

 लेखा शीर्षक
 5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
 337-सड़क निर्माण कार्य
 02-नये निर्माण कार्य

 04-जिला तथा अन्य सड़के
 03-राज्य सड़क

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम				पूर्व में जारी		वर्तमान में जारी		अब तक का व्यय		योग		
53-वृहद निर्माण				2190000		30000		0		2220000		
योग				2190000		30000		0		2220000		

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.30,000 (Rupees Thirty Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER


कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग,
“नियोजन-1” उत्तराखण्ड देहरादून

(OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, PWD, DEHRADUN UTTARAKHAND)

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: plhodpwduk@gmail.com

पत्रांक- 850 / 20याता०(वित्तीय स्वीकृति)नियो०-1/2026,

दिनांक-17 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- अधीक्षण अभियन्ता, 04 वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अध्यापक सिंह नगर।
- अधिशाली अभियन्ता, 70 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुड़पुर।
- आई०टी० सैल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- सहायक लेखाधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- अपर सहायक अभियन्ता, प्राविधिक वर्ग विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
 कार्या० प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
 लोक निर्माण विभाग, देहरादून